न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 150/11 निर्णय दिनांकः—24—02—2020
(आरसीएमएस संख्या 2011/00012)

1. विश्वकर्मा सूत्रधार शिल्पकार कल्याण प्रन्यास आवासीय कॉलोनी नालरोड जरिये अध्यक्ष भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति सुथार निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, बीकानेर हाल अध्यक्ष दुलाराम सुथार निवासी बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. कपूरचन्द पुत्र मिश्रीलाल जाति राठी निवासी सीताराम भवन के पास, बीकानेर।
2. निरन्जनकुमार पत्र बंशीधर जाति बिहाणी निवासी बीकानेर।
3. श्रीराम
4. रामेश्वरलाल
5. गिरधारीलाल
6. शिवराज
7. परमेश्वर
8. सत्यनारायण
9. सन्तोष
10. चन्दा
11. बक्का पत्नी नरसिंह दास पुत्र चुन्नीलाल जाति माली जरिये प्रतिवादी सं. 3
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राजस्व बीकानेर।

—रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 23—12—2011
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23–12–2011 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए ग्राम नाथूसर के खसरा नम्बर 220/9 की 1.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 09 की 4.57 हेक्टर भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा करवाने प्रतिवादीगण के विरूद्व चिर–निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा उक्त वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना के तहत खारिज किया गया है। जबकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र बतौर राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट के तत्वावधान प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अपीलांट/वादी का कॉज ऑफ एक्शन दावे में दस्तावेजी साक्ष्य व सबूतों के आधार पर तय होना था। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी को साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट/वादी का वाद मात्र सरसरी तौर पर खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में न तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ना ही प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर निस्तारण किया गया। मात्र यह अंकित करते हुए कि धारा 29 राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट किसी भी न्यायालय में दावा नहीं ला सकती तथा विश्वकर्ता सूत्रधार शिल्पकार कल्याण प्रन्यास अस्तित्व में नहीं होने के कारण यहा वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप खारिज किया गया है। जिसके कतई अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं था।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष धोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा का वाद दायर किया गया। जिस पर अदालत मातहत ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना कब्जे काश्त की जॉच किये बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश पारित करते हुए दावा खारिज किया गया है। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि पर अपीलांट् के हक व हकूक निहित है, ऐसी स्थिति में किसी के कानूनी हक को मात्र सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। यह कानून का प्रतिपादित सिद्वान्त है। अदालत मातहत ने उपरोक्त विधिक प्रावधानों पर कोई गौर किये बिना एक अवैद्य आदेश द्वारा अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया जिससे अपीलार्थी को अपने विधिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि पत्रावली में सीपीसी के सभी प्रावधानों की पालना करते हुए व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् धोषणा करने का दावा प्रस्तुत करते हुए अपने खातेदार धोषणाकरने की इस्तदुआ की गई थी। उक्त वादपत्र पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 1/प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि धारा 29 राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट के प्रावधानों के मुताबिक कोई भी अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट किसी भी न्यायालय में दावा पेश नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में दावा बार्ड बाई लॉ होने के कारण इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावो। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक अधिकारों के प्रस्तुत वादपत्र को विधि द्वारा वर्जित मानते हुए व वादी के अस्तित्व में नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के खिलाफ दावा पेश करने हेतु कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त नहीं होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व /प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया गया है। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा ना तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई राजस्व दस्तावेजी बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे कि अपीलांट् के कथनों को कोई बल प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट्/वादीगण का वाद खारिज किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्/वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम नाथूसर के खसरा नम्बर 220/9 की 1.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 09 की 4.57 हेक्टर भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा करवाने प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिर–निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने हेतु अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने के फलस्वरूप अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा दावा कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं होने के कारण खारिज करने का कथन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत व सिविल प्रकिया संहिता की धारा 151 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खारिज किया गया है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अपीलांट्/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बतौर ट्रस्टी वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा की इस्तदुआ अदालत मातहत के समक्ष की गई थी।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा दावा बार्ड वाई लॉ होने के कारण खारिज करने का कथन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाये जाने पर कि अपीलांट्/वादी का वादगस्त भूमि खसरा नम्बर 80 मीन का वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 220/9 की 1.75 हेक्टर व खसरा नम्बर 9 की 4.57 हेक्टर कुल किता 6.32 हेक्टर भूमि से क्या संबंध है तथा अपीलांट भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र का विश्वकर्मा सूत्रधार शिल्पकार कल्याण प्रन्यास से किस प्रकार हित/अधिकार उत्पन्न नहीं होने के कारण अपीलांट/वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट द्वारा जरिये ट्रस्ट वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की गई है। जबकि कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार विधि द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वर्जित है। ऐसी स्थिति में धारा 29 राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट के प्रावधानों के मुताबिक कोई भी अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट किसी भी न्यायालय में दावा पेश नहीं कर सकती। लिहाजा विधि द्वारा वर्जित दस्तावेज के आधार पर अपीलांट् किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्/वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत होने के कारण खारिज किया गया है। जिसके किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–12–2011 सहायक कलेक्टर, बीकानेर यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 24–02–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.03.12 11:54:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: